



GANESHA ECOSPHERE LIMITED

GESL/2021-22

July 26, 2021

To,
The BSE Limited,
Corporate Relationship Department,
1st Floor, New Trading Wing,
Rotunda Building,
PJ Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400 001.
Fax No.: 022-22723121, 22722037
Scrip Code: 514167

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra- Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai-400051.
Tel No.: 022-26598100-8114/ 66418100
Fax No. : 022-26598237/38
Scrip Symbol: GANECOS

Sub.: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 and other applicable provisions, if any, of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are hereby submitting the copy of newspaper clippings of the Notice to the Shareholders, published by the Company as per the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 in Business Standard (in English and Hindi both) on 26th July, 2021, along with a copy of the Notice dated 23.07.2021 sent to the concerned shareholders.

Kindly take the above on record and oblige.

Thanking you

Yours faithfully,
For Ganesha Ecosphere Limited

(Bharat Kumar Sajnani)
Company Secretary-cum-Compliance Officer

Encl.: As above

(भारत सरकार का एक उपकरण)
प्रधान कार्यालय-II, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
3 और 4, बी डी ब्लॉक, सेक्टर-1, साइबेय, कोलकाता-700064
नियंत्रण की सूचना

यूको बैंक निम्नलिखित मद के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी) एवं रुचि की अधिव्यक्ति (ई ओ आई) आमंत्रित करता है:-

1. फिनटेक कम्पनीयों के मनोनयन के लिए रुचि की अधिव्यक्ति।
 2. भोवाइल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रायोजन की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध।
- विकसित विवरण के लिए कृपया <https://www.ucobank.com> वेबसाइट देखें।
दिनांक: 26.07.2021

उप महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बीपीआर एवं बीटीडी)
सम्मान आपके विश्वास का



गणेशा इकोस्फियर लिमिटेड

सी.आई.एन. : L51109UP1987PLC009090

पंजीकृत कार्यालय - रावपुर (रविया), कालपी रोड, जिला - कानपुर देहात - 209304 (उ.प.)

ईमेल: secretarial@ganeshacosphere.com,

वेबसाइट: www.ganeshacosphere.com

फोन नं० - 0512-2555505-06, मो नं० - +919198708383 फैक्स नं० - 0512-2555293

शेयर धारकों के लिये सूचना

विषय- निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में
कम्पनी के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) संपठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम") के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी द्वारा सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्ष या उससे अधिक के लामांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, ऐसे सभी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानान्तरण किया जाना है।

यह भी सूचित किया जाता है कि आईईपीएफ नियम में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कम्पनी ने ऐसे सभी शेयरधारकों जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के खाते में वित्तीय वर्ष 2021-22 में हस्तांतरित होने सम्भावित हैं उन्हें उचित कार्यवाही करने के लिये व्यक्तिगत रूप से सूचना भेज दी है। ऐसे शेयर धारकों का विवरण कंपनी ने अपनी वेबसाइट ganeshacosphere.com/unclaimed-dividends/ पर अपलोड कर दिया है।

सम्बन्धित शेयरधारकों, जिनके पास कम्पनी के शेयर मूल रूप में हैं एवं जिनके शेयर प्राधिकरण को हस्तांतरित होने हैं, को बताया जाता है कि कम्पनी उनके शेयर प्राधिकरण को हस्तांतरित करने हेतु उनके मूल शेयर सर्टिफिकेट के बदले में नये शेयर सर्टिफिकेट जारी करेगी तथा ऐसा होने पर उनके मूल शेयर सर्टिफिकेट स्वतः निरस्त एवं गैर हस्तान्तरणीय माने जायेंगे। वे शेयर जो कि डीमैट मोड में हैं एवं जिनके शेयर प्राधिकरण को हस्तांतरित होने हैं उन्हें कम्पनी द्वारा, आईईपीएफ नियम में वर्णित रीति के द्वारा आईईपीएफ में स्थानान्तरण कर दिया जायेगा।

सम्बन्धित शेयरधारकों से दिनांक 30.10.2021 तक लामांश दावे की प्राप्ति न होने पर कम्पनी आईईपीएफ नियम में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करने हेतु सम्बन्धित शेयर, नियमों में वर्णित रीति से आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देगी।

इस मामले में स्पष्टीकरण हेतु कंपनी अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें -

कम्पनी-
कम्पनी सचिव
गणेशा इकोस्फियर लिमिटेड
113/216-बी, प्रथम तल,
स्वरूप नगर कानपुर - 208002
फोन नं० 0512-2555505-06
फैक्स नं० 0512-2555293
ईमेल- shrdept@gmail.com
secretarial@ganeshacosphere.com

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट-
मि० स्काइलिनार्त फाइनेन्शियल सर्विसेज प्रा० लि०
(युनिट- गणेशा इकोस्फियर लिमिटेड)
डी-153/ए, प्रथम तल, जोधला इण्डस्ट्रियल एरिया,
फेस-1, नई दिल्ली-110 020 भारत।
फोन नं० 011-26812682-83,
011-40450193-197
ईमेल- investors@skylinarta.com
parveen@skylinarta.com

शेयरधारक कृपया ध्यान दें, वे दावा लामांश / शेयर और उनसे होने वाले सभी लाभ आईईपीएफ में हस्तांतरित होने के पश्चात कम्पनी से दावा नहीं किये जा सकेंगे, हालांकि वे आईईपीएफ नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद Form IEPF-5 में ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भरने के बाद इसकी प्रतिलिपि एवं संबंधित दस्तावेज कंपनी को भेजकर, आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किये जा सकते हैं। Form IEPF-5 आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

कृते गणेशा इकोस्फियर लिमिटेड

हस्ता/-

(भरत कुमार सजगानी)

कंपनी सचिव

स्थान- कानपुर
दिनांक: 24-07-2021

बिजनेस स्टैंडर्ड
लखनऊ संस्करण

बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मद्रक जेदम सिंह रावत द्वारा अमर

आईटी कंपनियों की अल

शिवानी शिंदे
मुंबई, 25 जुलाई



भारतीय आईटी सेवा उद्योग ने पिछली तीन-चार तिमाहियों से महामारी की वजह से क्लाउड और डिजिटल संबंधित बदलाव की सवारी की है, लेकिन वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही के आंकड़े शीर्ष-4 आईटी सेवा कंपनियों के लिए अलग अलग कहानी बयां कर रहे हैं।

यदि आप संपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि विप्रो इन कंपनियों में दबदबा बनाए हुए है, क्योंकि कैपको के अधिग्रहण से उसकी वृद्धि को मदद मिली है। विप्रो में कैपको को अलग रखकर बात की जाए तो इन्फोसिस ने पहली तिमाही के प्रदर्शन में दबदबा कायम रखा। बिजनेस स्टैंडर्ड की बातचीत में शामिल विश्लेषकों ने भी इन्फोसिस को पसंद किया। इन्फोसिस को न सिर्फ लगातार वृद्धि दर्ज करने के लिए बल्कि अपने वित्त वर्ष 2022 के अनुमानों में संशोधन करने और राजस्व वृद्धि के संदर्भ में टीसीएस को मात देने के लिए भी सराहा गया है।

पहली तिमाही में, टीसीएस की तिमाही आधार पर डॉलर राजस्व वृद्धि 2.4 प्रतिशत पर रही,

जहां पहली तिमाही के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रमुख चार कंपनियां मांग मजबूत बना रही हैं, वहीं इनकी सफलता काफी हद तक आपूर्ति प्रबंधन पर निर्भर करेगी

जो बाजार के लिए निराशाजनक रही, खासकर तब, जब बात इन्फोसिस के 4.8 प्रतिशत के तिमाही आंकड़ों की तुलना में की जाए। टीसीएस का पहली तिमाही का प्रदर्शन उसके भारतीय व्यवसाय से प्रभावित हुआ था। भारतीय व्यवसाय में तिमाही दर तिमाही आधार पर भी करीब 14 प्रतिशत की कमजोरी आई।

भारतीय व्यवसाय पर प्रभाव कंपनी की रणनीति पर भी आधारित है, जो उसके अन्य प्रतिस्पर्धियों से अलग है। प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत में टीसीएस की अधिकतम उपस्थिति

आईटीसी का समेकित लाभ 30 फीसदी बढ़ा

बीएस संवाददाता
कोलकाता, 25 जुलाई

सिगरेट से लेकर होटल तक विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली कंपनी आईटीसी ने जून तिमाही में अपने समेकित लाभ में 30.24 फीसदी की वृद्धि दर्ज की। राजस्व में एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 36 फीसदी की दमदार वृद्धि से मुनाफे को बल मिला। तिमाही के दौरान कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ 3,343.44 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 2,567.07 करोड़ रुपये रहा था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का समेकित परिचालन राजस्व बढ़कर 14,240.76 करोड़ रुपये हो गया जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह आंकड़ा 10,478.46 करोड़ रुपये रहा था।

प्रत्

ब्लैकस्टो

ने वित्त व
किया है।
कारोबार में
आधार पर
कार्यकारी
राकेश ने
प्रत्यादा का
के बारे में

पहली तिमा
मुख्य तौर
रफ्तार मिल



GANESHA ECOSPHERE LIMITED

CIN: L51109UP1987PLC009090

Regd. Office: Raipur (Rania), Kalpi Road, Distt. Kanpur Dehat- 209304 (U.P.)

E-mail : secretarial@ganeshaecosphere.com, Website : www.ganeshaecosphere.com

Tel. No. 0512- 2555505-06, +91 9198708383, Fax No. 0512-2555293

To,

.....
.....

Dear Shareholder(s),

Sub: Compulsory transfer of Equity Shares, in respect of which dividends have not been claimed for 7 (seven) consecutive years, to the Investor Education and Protection Fund.

As per Section 124 (5) of the Companies Act, 2013, all dividends which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") established by the Central Government. In compliance with the same, the Dividend declared by the Company during the FY 2013-14, if remaining unclaimed till 30th October, 2021 will be transferred by the Company to IEPF.

Further, pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules"), as amended from time to time, the Company is required to transfer all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for a period of 7 (seven) consecutive years or more, to the Demat Account of the IEPF Authority.

As per the records of the Company, we note that you have not claimed dividend for 7(seven) consecutive years. In view of the above, you are hereby requested to refer the weblink ganeshaecosphere.com/unclaimed-dividends/ to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF and encash the dividend warrant(s) for the last 7 years for the shares held in the aforesaid Folio/ DP – ID & Client ID by giving necessary details in writing [i.e. Folio No., DP – ID & Client ID (if any), Original Unsigned Cancelled Cheque bearing your name (if name is not printed, provide attested copy of 1st page of bank passbook including IFS Code), Current Address and Contact Number] at the earliest well before **30th October, 2021**, to the Company or its Registrar & Share Transfer Agent (i.e. M/s. Skyline Financial Services Private Limited) at the address mentioned below:-

Company: The Company Secretary, Ganesh Ecosphere Ltd. 113/216-B, First Floor, Swaroop Nagar, Kanpur- 208002. Tel: 0512-2555505-06 Fax: 0512-2555293 E-mail: shrdept@gmail.com secretarial@ganeshaecosphere.com	Registrar & Share Transfer Agent: M/s Skyline Financial Services Private Limited, (Unit: Ganesh Ecosphere Limited) D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110 020, India. Phone: +9111-26812682-83, +9111 40450193 to 197 Email: investors@skylinerta.com parveen@skylinerta.com
--	--

In case you fail to claim the above dividends till 30th October, 2021, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the IEPF Rules, transfer the said shares to the IEPF as per procedure stipulated in the IEPF Rules, without any further notice. No claim shall lie against the Company in respect of Unclaimed Dividend / Shares including all benefits accruing on such shares transferred to IEPF Authority pursuant to the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF Authority as per Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which is registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded as and shall be deemed adequate notice in respect of issue of new certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the IEPF Authority, pursuant to the Rules. Further, the shareholders holding shares in demat mode and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority may note that the Company would transfer shares directly to Demat Account of IEPF Authority, as per the Rules.

You may also note that after transfer of shares to IEPF, any corporate benefit arising out of your shareholding in the Company shall also be credited in favour of IEPF.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF can be claimed back from IEPF Authority by submitting an online application to IEPF in the prescribed Form IEPF-5 available on the website of IEPF viz. www.iepf.gov.in and sending a duly signed physical copy of the same to the Company along with requisite documents enumerated in the Form IEPF- 5.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Ganesh Ecosphere Ltd.

Sd/-

(Bharat Kumar Sajnani)

Company Secretary-cum-Compliance Officer

Place: Kanpur

Date: 23.07.2021